



४०

10

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र०क्र० / PBR/निगरानी/आगर मालवा/भू.रा/2018/1452

श्री सत्य प्रताप कपिलवर्मा
आगर आगर कलेक्टर उज्जैन
पु.ए. ५५३(१)
दि. 23/2/18

- 1- वल्लभदास पिता मोहनलाल जी आयु 65साल
- 2- कृष्णाबाई पति वल्लभदास जी आयु 55 साल
- 3-सुशील कुमार पिता वल्लभदास आयु 40साल
- 4- श्रीमती कीर्ति लड्डा पति सुशील कुमार आयु 35 साल, सर्व जाति माहेश्वरी निवासीगण - बुधवारिया बाजार सुसनेर तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा ,संभाग उज्जैन म०प्र०—आवेदक

बनाम

1-म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, आगर मालवा ।

2-म०प्र० शासन द्वारा तहसीलदार महोदय सुसनेर तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा , संभाग उज्जैन ।

— अनावेदक

निगरानी धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता के अन्तर्गत प्र०क्र०

22 बी 121 /2015-16 आदेश दिनांक 7-2-2018 श्रीमान

श्रीमान कलेक्टर महोदय, आगर मालवा के आदेश से असंतुष्ट


06/3/18

ग्वालियर
दिनांक
प नाम

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/आगर मालवा/भूरा/2018/1452

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार सतपुते एवं श्री कुंवरसिंह कुशवाह द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। कलेक्टर जिला आगर मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-2-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक की ओर से म0प्र0भू-राजस्व संहिता की धारा 118 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र की सुनवाई हेतु प्रकरण संबंधित न्यायालय में भेजा जाये, जो कि आधारहीन आवेदन था, जिसे निरस्त कर प्रकरण आवेदकपक्ष को जारी कारण बताओं सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत करने हेतु नियत किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>